उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या–360/XXXVI-A-1/2020-8 एक (5)/2006
देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
5. समस्त जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख, परिनियम आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 मुद्रित प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या–360/XXXVI-A-1/2020-8 एक (5)/2006
देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायाधीश उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का सशोंधन

2. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 4 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक गृह व्यवस्था (हाउस कीपिंग), वित्त एवं बजट सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करना, आनुषंगिक एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रू0 25,000/– की स्थायी अग्रिम धनराशि राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के व्ययनाधीन रखी जायेगी। राज्य प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक व्यय, जिनमें उसकी बैठकें आयोजित करने के लिए किया गया खर्च भी शामिल है, सदस्य सचिव की पूर्वानुमति से किया जायेगा। परन्तु, रू0 10,000/–से अधिक के व्यय के लिये कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।	(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक गृह व्यवस्था (हाउस कीपिंग), वित्त एवं बजट सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करना, आनुषंगिक एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रू0 25,000/– की स्थायी अग्रिम धनराशि (Imprest Money) राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के व्ययाधीन रखी जायेगी। राज्य प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक व्यय, जिनमें उसकी बैठकें आयोजित करने के लिए किया गया खर्च भी शामिल है, सदस्य सचिव की पूर्वानुमति से किया जायेगा: परन्तु, रू0 25,000/–से अधिक के व्यय के लिये कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।

नियम 9 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 9 मे :–

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम 9.3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
9.3 **उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की अर्हताएं, अनुभव और मानदेय** कोई व्यक्ति तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए	9.3 **उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की अर्हताएं और अनुभव** उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु ऐसे सिविल जज अर्ह होंगे,

अर्ह न होगा जब तक कि वह उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के संयुक्त निबन्धक से निम्नवार श्रेणी का अधिकारी न हो और उसे रू0 1000/– प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम पांच वर्ष (05 वर्ष) का अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

(ii) उपनियम 9.4 के खण्ड (घ) के पश्चात् नया खण्ड (ड़) निम्नवत् अतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ड) आनुषंगिक एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रू0 25,000/– की स्थायी अग्रिम धनराशि (Imprest Money) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के व्ययाधीन रखी जायेगी।"

नियम 12 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नियम 12 के उपनियम (3) के पश्चात् नये उपनियम (4) एवं (5) निम्नवत् अतःस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात्:–

"(4) आनुषंगिक एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रू0 10,000/– की स्थायी अग्रिम धनराशि (Imprest Money) प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के व्ययाधीन रखी जायेगी।

(5) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक व्यय, जिनमें उसकी बैठकें आयोजित करने के लिए किया गया खर्च भी शामिल है, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्वानुमति से किया जायेगा:

परन्तु, रू0 15,000/– से अधिक के व्यय के लिये अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक होगा।"

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 360/XXXVI-A-1/2020-8 Ek (5)/2006 Dated: 11 December, 2020 for general information.

Government of Uttarakhand
Law section-1
No. 360/XXXVI-A-1/2020-8 Ek (5)/2006
Dehradun, Dated : 11 December , 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice, High Court of Uttarakhand Nainital, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand State Legal Services Authority Rules, 2006:

The Uttrakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2020

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called The Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2020

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 4 2. In Uttarakhand State Legal Services Authority rules, 2006 (here in after referred to as principal rules) for existing clause (c) of rule 4 as set out in column-1 clause as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Clause	Column-2 Hereby substituted clause
(c) to exercise the power in respect of administrative House keeping, finance and budget matters as Head of the Department in the State Government. For the purposes of meeting incidental and contingent expenditure, a permanent advance of Rs. 25,000/-shall be placed at the disposal of Member-Secretary of the State Authority. All expenditure necessary to carry out the various functions of the State Authority including expenses incurred in holding its meeting shall be made with the prior approval of the Member Secretary, provided for an expense of more than Rs.10,000/-approval of the Executive Chairman shall be necessary.	(c) to exercise the power in respect of administrative House keeping, finance and budget matters as Head of the Department in the State Government. For the purposes of meeting incidental and contingent expenditure, a permanent advance (Imprest money) of Rs. 25,000/-shall be placed at the disposal of Member-Secretary of the State Authority. All expenditure necessary to carry out the various functions of the State Authority including expenses incurred in holding its meeting shall be made with the prior approval of the Member Secretary: Provided that for an expense of more than Rs.25,000/-approval of the Executive Chairman shall be necessary.

Amendment of rule 9 3. In rule 9 of Principal rules:-

(i) For existing sub rule 9.3 as set out in column -1 sub rule as set out in column -2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing Sub rule	Column-2

9.3 Experience,qualification and honorarium of the Secretary to the High Court Legal Services Committee. A person shall not be qualified for appointment as Secretary to the High Court Legal Services Committee unless he is an officer of the High Court not below the Rank of Joint Registrar, belonging to the Uttaranchal Higher Judicial Service and shall be paid honorarium of Rs.1000/- per month or such amount as may be fixed by the Chairman of the Committee in consultation with the Chief Justice.	**Hereby substituted Sub rule** **9.3 Experience and qualification of the Secretary to the High Court Legal Services Committee.** Such Civil Judge who has an experience of minimum five years (05 years) in such form shall be eligible for appointment as a Secretary to the High Court Legal Services Committee.

(ii) After clause (d) of sub rule 9.4 new clause (e) shall be inserted as follows, namely:-

"(e) for meeting incidental and contingent expenditure a permanent advance (Imprest money) of rupees 25,000/- shall be placed at the disposal of Secretary of the High Court Legal Services Committee."

Amendment of rule 12 **4.** In rule 12 of Principal rules after sub rule (3) new sub rule (4) and (5) shall be inserted as follows, namely:-

"(4) for meeting incidental and contingent expenditure a permanent advance (Imprest money) of rupees 10,000/- shall be placed at the disposal of Secretary to the District Legal Services Authority.

(5) All expenses necessary to carry out the various function of the District Legal Service Authority including expenses incurred in holding its meeting shall be made with the prior approval of the Secretary, District Legal Services Authority:

Provided for an expense of more than Rs.15,000/- approval of the Chairman, District Legal Service Authority shall be necessary."

By order

(Prem Singh Khimal)
Secretary